शहरी स्वच्छता कार्य बल/स्वच्छ भारत शहरी कार्य बल- अनुबंध के नियमों का प्रारूप

1. भूमिका/ पृष्ठभूमि

3 अक्टूबर, सन2008में भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति'की शुरुआत की.भारत के शहरों मेंस्वच्छता व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए इस नीति कादृष्टिकोण है:

"सभी भारतीय शहर पूरी तरह से साफ़, स्वस्थ और रहनेयोग्य बनें, अपने सभी नागरिकों के लिए अच्छा वातावरण और जन स्वास्थ्य सुनिश्चित करके उन्हें वैसे ही बनायें रखें और शहरी ग़रीबों और महिलाओं के लिएस्वास्थ्यकर और किफ़ायती स्वच्छता सुविधाओं पर विशेष ध्यान दें".

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, शहरी स्वच्छता योजना को स्थानीयस्तर पर नीति के लक्ष्य और शहर व्यापी स्वच्छता दृष्टि-कोण स्थापित करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा बनाने में नियोजनकामुख्य औज़ार मानती है.शहरी स्वच्छता योजनाअपने आप में एक व्यापक दस्तावेज़ हैजो कि स्वच्छता तकशत-प्रतिशत पहुँचहासिलकरने के लिएशासकीय,तकनीकी, वित्तीय,क्षमता निर्माण, जागरूकताऔरग़रीबों के हित जैसेमुद्दों के अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घ कालिक योजनाओंकीविस्तृत जानकारी देता है.

शहरी स्वच्छता योजनाकोमानव मल,ठोसकचरा,औद्योगिक और अन्य निर्दिष्ट ख़तरनाक अपशिष्ट और पेय जल प्रबंधन जैसीसभी सुविधाओं के एकीकृत उपायसोचने चाहिए. यह निम्नलिखित नतीजोंतकपहुँचनेकी परिकल्पना करती है:

- शहर'खुले में शौच' से मुक्त हों
- शहर मैला धोने की प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगायें और सफ़ाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हिफ़ाज़ती उपकरण मुहय्या करवायें
- शहर के बरसाती नालों और गंदे पानी का सुरक्षित प्रबंधन हो
- जहाँ भी संभव हो गन्दा पानी रीसाइकल हो औरपीने के अलावा अन्य प्रयोजनों में उसका उपयोग हो
- ठोस कचरे का पूरी तरह और सुरक्षित ढंग से इकट्ठा करके निबटारा हो
- ग़रीबतबक़े को मूलभूत सुविधाएं मुहय्या करवाई जायें
- बेहतरजन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सभी क़दम उठाये जायें

शहरी स्वच्छता योजना उन सभी पहलुओं पर भी ध्यान देगी जहाँ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की ज़रुरत होगी. इसप्रक्रियाकोकाफ़ी समय से उपेक्षित शहरी आधारिकसरंचनाकोदोबाराशुरूकरनेकीएककोशिशकीतरहदेखाजासकताहै.

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अक्टूबर २०१४ में स्थापित'स्वच्छ भारत मिशन' भी इस पर ज़ोर देता है कि शहरों में इस मिशन के अंतर्गत लागू होने वाली सभी परियोजनायें शहरी स्वच्छता योजना से ही उत्पन्नहों (और जानकारी के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देश देखें).

श्री प्रवीण प्रकाश (संयुक्त सचिव और मिशन निर्देशक, स्वच्छ भारत मिशन) ने स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न अंगों की जिम्मेदारियों की देख-रेख के लिए, सभी राज्यों से 'स्वच्छ भारत शहरी कार्य बल/शहरी स्वच्छता कार्य बल' बनाने का अनुरोध किया है (D.O. No. MD-SBM/AA/71/2016, 7 जून2016).

2. शहरी स्वच्छता कार्यबल/स्वच्छ भारत मिशन कार्यबल के उद्देश्य

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के अनुसार बहु-हितधारक कार्य बल की स्थापना शहरी स्वच्छता की योजना बनाने की प्रमुख गतिविधियों में से एक है.

"शहरों को शत-प्रतिशत साफ़ बनाने के लिए सरकारी संस्थाओं, नागरिकों में सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना पहला क़दम है". (राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008)

इस लक्ष्य को पाने में, शहरी स्वच्छता योजना की अपेक्षानुसार, प्रमुख भूमिका शहर के विभिन्न सरकारी/निजी संस्थानों के प्रतिनिधियों, व्यक्तियों, ग़ैर-सरकारी संस्थाओं, स्थानीय उद्योगपतियों, सलाहकारों, नेताओं और अन्य लोगों की होगी. नागरिकों से परामर्श करके इन सभी वर्गों से शहरी स्वच्छता कार्य बल बनाया जायेगा. नागरिक वर्तमान स्थिति को जाँचते हुए और स्वच्छता में बेहतरी के उपाय खोजते हुए शहरी स्वच्छता योजना प्रक्रिया को निरंतर सहयोग देंगे.

इस लिहाज़ से, कार्य बल का शहरी स्थानीय निकाय में बनना ज़रूरी है.शहर को शत-प्रतिशत स्वच्छ बनाने के लिए इसे शुरुआत ही में एक बहु-हितधारक,बहु-समूह बैठक बुलानी ज़रूरी है.

कार्य बल को बनाने का मुख्य उद्देश्य शहर में एक बहु-हितधारक संस्था का निर्माण है जो कि राष्ट्रीय शहरीस्वच्छता नीति के लक्ष्य पूरे कर सके. साथ ही सरकारी और ग़ैर-सरकारी संस्थानों द्वारा स्वच्छता को लेकर एक संयुक्त प्रयास करवा सके. कार्य बल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी स्वच्छता योजना तैयार करने की प्रक्रिया और उसका क्रियान्वनउच्च-स्तरीय हो, सभी उचित दृष्टि-कोणों को ध्यान में रखे और नतीजों पर केन्द्रित रहे.

शहरी स्वच्छता कार्य बल ग़ैर-सांविधिक संस्था होगी. परएक परिषद् प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के उद्देश्यों को हासिल करने वाली संस्था के रूप में देखा जाना चाहिए. शहरी स्थानीय निकाय को इसके गठन की जानकारी अखबारों, रेडियो, टी.वी. और संचार के अन्य माध्यमों से करनी चाहिए. यह अधिसूचना राज्य के सम्बंधित अधिकारीयों और शहरी विकास मंत्रालय, भारतसरकार को भी दी जनि चाहिए.

3. शहरी स्वच्छता कार्यबलकीबनावट

शहरी स्वच्छता कार्यबल एक बहु-हितधारकसमिति है जिसमें निम्नलिखित वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा:

- सार्वजनिक संस्थायें (शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय विभाग जैसे ठोस कचरा प्रबंधन, पेय जल, जन स्वास्थ्य आदि)
- निजी संस्थान (ठेकेदार, होटल, उद्योगआदि)
- जल और स्वच्छता, शहरी विकास और बस्तियों के, स्वास्थ्य और पर्यावरण के काम में लगे ग़ैर-सरकारी संस्थान
- स्वच्छता सेक्टर में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से कार्यरत निजी संस्थान/ठेकेदारों के प्रतिनिधि (कचरा इकट्ठा करने वाले, सफाई कर्मचारी आदि)
- शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थान
- सामाजिक संस्थान (बस्ती, कालोनीआदि)
- मीडिया

शहर के महापौर/अध्यक्ष कार्य बल के मुखिया होंगे.संयोजन की ज़िम्मेदारी कमिश्नर या नगरप्रशासन के प्रमुख की होगी. महिलाओं की स्वच्छता संबंधी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र में कार्यरत एक संस्था या विशेषग्य इस कार्य बल में शामिल किया जायेगा.शहरों के आकार, संस्थानों और ज़रूरतों के हिसाब से कार्य बल की बनावट में कुछ फेर-बदल हो

सकता है. इसमें शामिल किये जानेवाले हितधारकों का चयन निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए:

- इससे किस समुदाय को फ़ायदा या नुकसान पहुँच सकता है (जैसे ग़रीब तबक़ा या पर्यावरण पर काम करने वाले ग़ैर-सरकारी संस्थान)
- अपनी औपचारिक वस्तु-स्थिति के कारण इसमें किसे शामिल किया जाना चाहिये (जैसे सरकारी विभाग)
- ऐसे किस संस्थान या विशेषग्य को रखा जाए जिसकी पहुँच किसी ख़ास वर्ग/समूह या साधनों तक हो

कार्यबल में १५-२० से ज़्यादा सदस्यनहीं होने चाहिए. छोटे शहरों में इससे भी कम सदस्य हो सकते हैं. अलग-अलग कामों की पूर्ति के लिए कार्य बल में छोटे-छोटे कार्यकारी समूह बनाये जा सकते हैं.ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नए सिरे से कार्यबलबनायाजाए. शहरीस्तर पर सक्रीय किसी भी समिति को शहरी स्वच्छता कार्यबल में ढाला जा सकता है.

इस सन्दर्भ में,स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, शहरी विकास मंत्रालय ने जारी करके सभी शहरीस्थानीय निकायों से'स्वच्छ भारत मिशन कार्यबल' बनानेकीदरख्वास्त की है.

यह कार्य बल निम्नलिखित के अधीनसंगठितकिया जा सकता है:

- माननीय महापौर(या समकक्ष)– अध्यक्ष
- शहर स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि–संयोजक
- शहर के विशिष्ठ नागरिक
- स्थानीय वाणिज्य मंडल का प्रतिनिधि
- माननीय सांसद या विधायक– आमंत्रित किया जा सकता है
- विशेषग्य– सहयोजित किया जा सकता है

4. शहरी स्वच्छता कार्य बल निम्नलिखित के लिएज़िम्मेदार होगा:

- कार्यान्वयनएजेंसी को समग्र मार्गदर्शन देना
- कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दी गईं प्रगति रिपोर्टोंको स्वीकृति देना
- नागरिकों से परामर्श करके स्वच्छता कार्यान्वनएजेंसीद्वारा तैयार शहरी स्वच्छता योजना को स्वीकृति देना
- कार्य प्रगति की नियमित निगरानी करना
- प्रगति के बारे में प्रेस/ मीडियाऔर राज्य सरकार को ब्रीफिंग जारी करना
- शहर में शत-प्रतिशत साफ़-सफ़ाई का अभियान चलाना
- नागरिकों और स्टेकहोल्डरों के बीच जागरूकता पैदा करना
- शहरीस्थानीय निकाय को स्थाई आधार पर शहर व्यापी सफ़ाई व्यवस्था कीज़िम्मेदारीतय करने की सिफ़ारिश करना

इस कार्य बल को स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न अंगों की देख-रेख और उन्हेंलागू करने की ज़िम्मेदारी भी दी जा सकती है. इसके अलावा ऐसी परियोजनायें जो स्वच्छ भारत मिशन में नहीं हैं, पर जिनसे शहर स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन में अग्रिणी हो सकता है,उन्हें भी लागूकरने की ज़िम्मेदारी दी जा सकती है.

क. स्वच्छता

- शहर को 'खुले में शौच' रहित घोषित करने की कार्य योजना की समीक्षा
- 'खुले में शौच' रहित शहर कार्य योजना के निष्पादन कीसामयिकसमीक्षा

- निजी और सार्वजानिक शौचालयों के बनने की सामयिकसमीक्षा
- शहर के मल /तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य योजना और उसके निष्पादन की समीक्षा

ख. ठोस कचरा प्रबंधन

- कचरे की शत-प्रतिशत घर से संचयन, धुलाईऔर प्रबंधन कार्ययोजना की समीक्षा
- ठोस कचरा प्रबंधन कार्य योजना के निष्पादन की सामयिकसमीक्षा
- ठोस कचरे से सम्बंधित परियोजनाओं की प्रगति और संचालन की समीक्षा

ग. व्यवहार में बदलाव

- 'व्यवहार में बदलाव संचार'कार्य योजना की समीक्षा
- 'खुले में शौच' रहित शहर के लिए नागरिकों केजुटाव को सक्रीय रूप से समर्थन
- स्वच्छ भारत के लिए नागरिकों के जुड़ाव को सक्रीय रूप से समर्थन
- विषय क्षेत्र संबंधी गतिविधियों कीपाक्षिक देख-रेख

घ. नियम और क़ानून

- स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन से सम्बंधित नियम-कानूनों की समीक्षा और उनमें बदलाव लाने के लिए शहर स्थानीय निकाय से सिफ़ारिश करना

ङ. स्वच्छ भारत मिशन से सम्बंधित अन्य गतिविधियाँ

5. सौंपे गए कार्य

शहर स्वच्छता कार्य बल का कुल मिलकर प्रयोजनशहर में एक ऐसी दीर्घ कालिक और ग़ैर सांविधिक संस्था खड़ा करना है.जोनिरंतर शहर के पर्यावरण संबंधी मुद्दों को जाने-समझे और उनके निवारण के लिए सम्मिलितरूप से प्रयास करे. शहरी स्वच्छता योजना बनाने और लागू करने मेंभी इसकी भूमिका अहम्होगी.कार्य बल (औरइसके घटक सदस्य और उनके संगठन) शहरी स्थानीय निकाय के साथ हमेशासहयोगात्मकरूप से काम करेंगे.

शुरुआती दौर में नियोजन प्रक्रिया को दिशा देने और उसका जायज़ा लेने कार्य बल औपचारिक रूप से अक्सर मिलेगी (कम से कम दो महीने में एक बार). बाद के दौर में बैठक और क्षेत्र-भ्रमण ज़रुरत के हिसाब से हो सकते हैं.उप-समितियों की बैठकें भी आवश्यक्तानुसारकी जा सकती हैं.

शहरी स्वच्छता कार्य बल को ख़ासकर से निम्नलिखित कामोंको सहयोगात्मक रूप से कार्यान्वित करना होगा:

5.1. नियोजन के दौरान

क.स्वच्छतापरिपालन एजेंसी की नियुक्ति

कार्य बल को शहर की एक प्रमुख संस्था (जहाँ तक हो सके, शहरी स्थानीय निकाय) को'स्वच्छता परिपालन एजेंसी' नियुक्त करना होगा.स्वच्छता परिपालन एजेंसी की ज़िम्मेदारियाँनिम्नलिखितहोंगी:

- शहरी स्वच्छता योजनाबनाना (शहरी स्वच्छता कार्य बल के संचालन में)
- शहरी स्वच्छता योजना का क्रियान्वन
- शहर व्यापी स्वच्छता कार्यक्रमों का दैनिक समन्वय, प्रबंधन और क्रियान्वन

ख़.जागरूकता फैलाना

कार्य बल शहरी स्वच्छता योजना के सिद्धांत, आवश्यकता, प्रासंगिकता और प्रक्रिया के बारे में नागरिकों और हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाएगा. इसकीप्रगतिऔरनतीजोंके बारे में प्रेस/ मीडियाऔर राज्य सरकार को ब्रीफिंग भीजारी करना होगा.

ग़.आँकड़े जमा करने में सहयोग

कार्य बल नियोजन प्रक्रिया और इसके लिए ज़रूरी शहर के सभी आंकड़ों (जैसे जनसँख्या, स्वच्छता, पेय जल संबंधी) के संकलन में सहयोग देगा.

घ.नियोजन में सहयोग और प्रगति कासंचालन

कार्य बल शहरी स्वच्छता योजना को समग्र मार्गदर्शन देने और इसके अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की प्रगति की पड़ताल करने के लिए नियमित बैठकें बुलाएगा. निम्नलिखित लक्ष्यों से मेल खाते हुए कम से कम तीन बैठकों का आयोजन होना चाहिए:

क. नियोजन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए शुरूआती बैठक
ख. वस्तु-स्थिति रिपोर्ट की प्रस्तुति के समय. इस रिपोर्ट के अनुसार शहर व्यापी स्वच्छता प्रारूपका सूत्रीकरण
ग. ड्राफ्ट शहरी स्वच्छता रिपोर्ट की प्रस्तुति

च.राए देना

कार्य बल स्थानीय सन्दर्भ, ज़मीनी मुद्दों का अवलोकन करेगा और अपनी राय देगा.शहरी स्वच्छता योजना से सम्बंधित अन्य विभागों में स्थित नियोजन के साधनों और कार्यक्रमों को एकीकृत करने में कार्य बल की विशेष भूमिका रहेगी (जैसे शहर परिवहन योजना, ठोस कचरा प्रबंधनकार्यनीति आदि).

छ.योजनाओं पर सहमति

कार्य बल नागरिकों से परामर्श करकेशहरी स्वच्छता योजना को स्वीकृति देगा. इस योजना के बनाने के बाद,कार्यान्वनएजेंसी, अन्यजन-एजेंसी, ग़ैर सरकारी संस्थान और निजी संस्थाओं द्वारा दी गईं प्रगति रिपोर्टों और साधनों को कार्यान्वन के लिए स्वीकृति देगा.

5.2. कार्यान्वन के दौरान

क. कार्यान्वन प्रबंधन

शहरी स्वच्छता योजना में दिए गए सूत्रों का क्रियान्वन शहरी कार्य बल के द्वारा होगा.इससे निष्पक्षता बनी रहेगी, काम का अच्छा स्तर होगा और नतीजों पर ध्यान केन्द्रित रहेगा. काम पर नियमित निगरानी से ज़रुरत पड़ने पर दिशा बदली भी जा सकेगी.कार्य बल इस बातकाभीध्यान रखेगा कि सबसे कमज़ोर तबक़े और क्षेत्र निशाने पर रहें.

ख़. वस्तु-स्थिति की पड़ताल और समीक्षा

कार्य बल शहरी स्वच्छता योजना के क्रियान्वन की पड़ताल कार्य योजना और ख़ुद बताये गए लक्ष्यों की कसौटी पर करेगा.

ग़. क़ानूनी और संस्थागत जिम्मेदारियों की स्थापना

कार्य बल शहर व्यापी स्वच्छता की स्थाई ज़िम्मेदारी शहरी स्थानीय निकाय को सौंपने की सिफारिश करेगा. शहर में स्वच्छता और स्वस्थ वातावरण के लिए कार्य बल सभी सार्वजनिकविधानों की पड़ताल करके अपनी राए देगा.

घ.क्षमता में वृद्धि और प्रशिक्षण

कार्य बल क्षमता बढ़ाने के लिए किये गए सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा और इन में भाग लेने केलिए उचित समुदायों को ढूँढने में शहरी स्थानीय निकाय की मदद करेगा.